''भ्रष्टाचार और बाल मजदूरी''
(एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

चन्दन कुमार सिंह*

भारत की गिनती दुनिया के उन देशों में होती है, जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला दुनिया के हर क्षैत्र में दिखाई देता है। देश में भ्रष्टाचार पर नियत्रंण एवं निगरानी हेतु सी.बी.आई. सतर्कता आयोग, पुलिस आर्थिक अपराध शाखा, राज्यों में भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियां एवं अनेक क्षेत्र कार्यरत है, बावजूद इसके कि भ्रष्टाचार निरंतर फैलता जा रहा है। बेनामी और अवैध तरीकों से संपत्ति एवं धन को देश में गुप्त रूप से रहना या फिर विदेशों में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा हैं। राजनीतियों, उद्योगपतियों और माफियाओं द्वारा काले धन की धाराएं स्विटजरलैंड के बैंक में इस तरह मिलती हैं जैसे नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती हैं। यह काला धन ताकतवर लोगों का होना इसलिए उसका खुलासा करना आवश्यक नहीं होता। भ्रष्टाचार और काले धन की बहस राजनीतिगत एवं संस्थागत तक सीमित रही, इसके विभिन्न स्रोतों, कारणों और आयामों को इतनी अहमियत नहीं है। बालश्रम के कानूनी, आर्थिक, राजनीतिक और मानवीय पहलू है परंतु इसका महत्वपूर्ण पहलू बाल मजदूरी हैं यह भ्रष्टाचार का महत्वपूर्ण आयाम है। प्रस्तुत शोध लेख भ्रष्टाचार और बाल मजदूरी विषय पर है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य–

1. शोध का उद्देश्य स्वतंत्रता पश्चात भ्रष्टाचार के भयावह रूप को जानना है।
2. बालश्रम से कैसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, इसे जानना है।

शोध के स्त्रोत–भारत स्वतंत्रता पश्चात से विभिन्न वर्षों के द्वितीयक समंकों को एकत्र करना।

शोध प्राविधि–द्वितीय समंकों के आधार पर अंकगमितीय माध्य रीति का उपयोग करके विलेषण किया गया है।

शोध विश्लेषण–भारत सहित कई राष्ट्रों में लागे हुए आर्थिक सुधारों ने आकर्षक GDP वृद्धि ने भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया है। इससे कई देशों में भारी भरकम राजस्व से हाथ धोना पड़ा दूसरी ओर आर्थिक विषमता की समस्या अधिक गंभीर हो गई जिसे भारत का उदाहरण से समझा जा सकता है। भारत ने 1948 से 2008 के बीच 213 अरब डालर गवाएं। इनमें से 104 अरब डालर का काला

***शोध छात्र (समाजशास्त्र) मगध विश्वविद्यालय, बोध गया**

धन महज 8 वर्षों (2000–2008) के बीच विदेशी बैंकों में जमा है। वर्ष 2010 तक भारत में कुल घोटालों में औसतन 91.06 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हुए हैं।

पिछले दशक वर्ष 2001–2010 तक 1555 हजार करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ। हाल में हुए अनोखे सर्वे ''भारत में भ्रष्टाचार का आकार और मनी लौन्ड्रिग'' में यह स्पष्ट हुआ कि वर्ष 2009 मैं भारत में औसतन हर नागरिक को करीब 2000 रुपए भ्रष्टाचार पर खर्च करना पड़े। यह राशि पिछले दशकों की तुलना में 260/– ज्यादा है। पिछले दशकों में मनी लांड्रिंग के जरिये 1886 हजार करोड़ रुपये या 419 अरब डालर देश के बाहर भेजा गया। यह मापदंड ग्लोबल मापदंडों को ध्यान में रखकर किया गया है। यदि भारत के सकल घरेलू उत्पाद पर आधारित मौडल से भ्रष्टाचार का आकलन से भारत में पिछले दशकों में भ्रष्टाचार 1555 हजार करोड़ रहा है।

स्वतंत्रता पश्चात दशवर्षीय घोटाले–स्वतंत्रता के पश्चात् 1947 एवं 1950 के समय वर्ष 1948 में जीप खरीद घोटाला 80 लाख रुपये का रहा।

द्वितीय दशक (वर्ष 1951–1960) तक –द्वितीय दशक में वर्ष 1956 में बी.एच. यू. फंड घोटाले में 50 लाख, 1957 में मुद्दा घोटला 1.25 करोड़ रुपये 1960 में तेजा लोन धर्मा घोटाला 22 करोड़ रुपये का रहा। इस दशक में कुल 23.75 करोड़ का घोटाला हुआ।

तृतीय दशक (वर्ष 1961–1970)–यह दशक में कोई घोटाला नहीं हुआ

चतुर्थ दशक (वर्ष 1971–1980)–कुआ आइल घोटाला से 2.2 करोड़ रुपये का रहा है।

पंचम दशक (वर्ष 1981–1990)–इस दशक में 1981 में अकेले ट्रस्ट में 310 करोड़, 1987 वर्ष में एच. डी.डब्ल्यू कमीशन 20 करोड़, 1987 में बोफोर्स घौटाले में 64 करोड़, 1989 सेंट कीट्स जालसाजी 9.45 करोड़, 1990 में एयरबस घोटाला में 2000 करोड़ रु. का रहा। इस दशक में कुल घोटाला 2123.45 करोड़ रुपये का रहा है। जो पिछले दशकों की तुलना में अधिक है।

छठ्म दशक (वर्ष 1991–2000)–इस दशक घोटालों वर्ष 1992 में हर्षद मेहता शेयर घोटाला 5 करोड़, 1994 चीनी आयात 650 करोड़, 1995 मेघालय फॉरेस्ट 300 करोड़, पीफ्रेशियल अलॉटमेंट 5000 करोड़, भुगोक्लेव दिनार घोटाले 400 करोड़, कॉबलर 1000 करोड़, कस्टम व कर घोटाला 43 करोड़, 1997 वर्ष में हवाला घोटाला 400 करोड़, सुखराम टेलीकाम 1500 करोड़, एस.एन.सी. पॉवर प्रोजेक्ट 374 करोड़, म्युचअल फंड 1200 करोड़, वर्ष 1996 में उर्वरक आयात घोटाला 1300 करोड़, युरिया 133 करोड़, का घोटाला में टीक प्लाटेशन 8000 करोड़, कृषि उपज निवेश 210 करोड़ का घोटाला रहा। इस दशक में कुल 21465 करोड़ रुपये के घोटाले हुए।

सप्तम दशक (2001–2010)–इस दशम में वर्ष 2001 केतन पारित्व प्रतिभूति 1000 करोड़, यु.टी.आई. 32 करोड़, शेयर (दिनेश डालमिया) 595 करोड़, वर्ष 2002 गृह निवेश 600 करोड़, कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज 120 करोड़, वर्ष 2003

स्टांप घोटाला 20 हजार करोड़, वर्ष 2005 आई.पी.ओ. 1000 करोड़, बिहार बाढ़ आपदा घोटाला 17 करोड़, स्काविचन पनडूब्बी 18978 करोड़, वर्ष 2006 पंजाब सिटी संटर 1500 करोड़, ताज कारिडोर 175 करोड़, वर्ष 2008 टेक्स हवाला 39120 करोड़, रुपये स्टेट बैंक ऑफ सोराष्ट्र घोटाला 95 करोड़, सैन्य राशन 5000 करोड़, सत्य घोटाला 800 करोड़, वर्ष 2009 चावल निर्यात 2500 करोड़, उड़ीसा खदान 7000, झारखंड खदान 4000 करोड़, झारखंड मेडिकल उपकरण 130 करोड़, वर्ष 2010 2जी स्पेक्ट्रम 1.76 लाख करोड़, कॉमनवेल्थ 70000 करोड़, आदर्श हाउसिंग 9.5 अरब, एस बैंड स्पेक्ट्रम आवंटन 2 लाख, खाद्याान घोटाला 35000 करोड़ का रहा है। इस दशक में सबसे ज्यादा घोटाले हुए कुल 1555 हजार करोड़ का हुआ जो कि अन्य दशकों से सर्वाधिक है। अभी विभिन्न प्रकार के घोटालों का अध्ययन किया अब प्रश्न यह है कि इस घोटाले के विभिन्न स्रोत, कारण एवं आयाम कौन से है। इनमें महत्वपूर्ण है बाल मजदूरी जिसका अध्ययन निम्नांकित है –

भ्रष्टाचार और बाल मजदूरी–भ्रष्टाचार का आयाम बाल मजदूरी का रिश्ता, कारण और परिणाम जैसा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में हर वर्ष 60 हजार बच्चे गुमशुदा होते हैं उन्हें महंगी कीमतों पर बेचे जाते हैं। गुमशुदा बच्चों को निम्न कारणों से बेचा जाता है :–

- बाल व्यापार • वेश्यावृत्ति • बंधुआ मजदूरी • जबरिया भीख
- मानव अंग व्यापार

उपरोक्त कारणों से लाखों बच्चों को बहला फुसलाकर व्यापार के जरिये एक राज्य से दूसरे राज्यों में बेचा जाता हैं। इनसे हजारों करोड़ों रुपये की आय प्रतिवर्ष होती है। बच्चों व महिलाओं की तस्करी, अवैध हथियार व नशीले पदार्थों में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आँकड़ों के अनुसार हर वर्ष 45 डालर या लाख रुपये का काला धन कमाया जाता है।

बाल मजदूरी के अंतर्गत देश में छः करोड़ बच्चे पूर्णकालीन रोजगार में लगे हैं, जबकि भारत में साढ़े छः करोड़ व्यक्ति बेरोजगार हैं। अधिकतर बेरोजगार व्यक्ति बाल मजदूरों के माता–पिता है।

बच्चों को श्रमिक के रूप में क्यों रखते हैं क्योंकि भारत में मुत में व सस्ते बाल श्रमिक आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। विभिन्न अध्ययनों के मुताबिक एक बच्चे प्रति दिवस को खर्च 20 रुपये जबकि बेरोजगार व्यक्ति पर 120 रु. खर्च होता है। इस तरह से स्पष्ट होता है कि फैक्टरी मालिक 1 मजदूर पर प्रतिदिन 100 रु. बचा लेते हैं। मजदूरों पर 720 करोड़ रु खर्च होने है। इस तरह गोरख धंधों से 600 करोड़ रु. सीधे–सीधे बचा लिया जाता है। देश में हर माह 18000 करोड़ सालाना दो लाख करोड़ रु. का काला धन राशि में सरकारी अफसर, स्थानीय नेता, पार्टियों के चुनाव व अन्य मदें रूप में खर्च होती है। इस तरह से काला धन इकट्ठा करके उद्योगपतियों, भ्रष्ट नेताओं और अफसरों के माध्यम से करोड़ों रु. विदेशी बैंकों में जमा होता है।

बाल मजदूरी भारत के सघन क्षेत्रों में व्याप्त है। इसका शिकार गरीब, मजबूर व अशिक्षित व्यक्ति रहते हैं। राजनेता क्षेत्रीय विकास के मामले में पूर्णतः उदासीन रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मीरजापुर–भदोही के कालीन उद्योग में 1 लाख बाल श्रमिक फिरोजाबाद के चुड़ी कारखाने में तमिलनाडु के शिक्काशी, सत्तर और विरुद्ध नगर जिले में ओनिशबाजी उद्योगों व दिल्ली में पांच लाख ज्यादा बच्चे (जरी, चमड़े, प्लास्टिक के जूते, चप्पल, बैग, पर्स, प्रसाधन, स्टील के बर्तन) आदि उद्योग में बाल श्रमिक कार्यरत हैं। इसके अलावा हर राज्य में कृषि, उद्योग, खदान, होटलों, ढाबों, घरों में बाल श्रमिक कार्यरत हैं।

भारत में कई फैक्टरियाँ, भट्ठे खदानें जहाँ बाल श्रमिक काम करते हैं उनका पंजीयन नहीं रहता है व अवैध रूप से चलते हैं क्योंकि उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है।

सुझाव– 1. जन लोकपाल बिल का तुरंत लागू किया जाए।

2. देश की जनता को जागरूकता को बढ़ना होगी।
3. देश की जनता को जागरूक करने के लिए सामाजिक आंदोलनों की भागीदारी बढ़ानी होगी।
4. जागरूकता बढ़ाने के लिए मुत शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना।
5. शिक्षा के स्तर सुधारने के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य की जाए।
6. 75 प्रतिशत उपस्थित के लिए बच्चों को शिक्षा के साथ रोजगार भी स्कूल में उपलब्ध हो।
7. बच्चों के स्थान पर बेरोजगार युवा की रोजगार प्राप्त हो इसके श्रम संघ की स्थापना।
8. श्रम संघों की स्थापना स्थानीय स्तर, राज्य स्तर एवं केन्द्रिय स्तर पर हो।
9. बाल श्रम अधिनियम प्रभावी ढेंग से क्रियान्वित करना।
10. इस अधिनियम के उल्लंघन करने वाले को कठोर दण्ड किया जाये।

निष्कर्ष – उपरोक्त सुझावों को सरकार व जन सामान्य अमल में जाएं तो निश्चित की भ्रष्टाचार और बाल–मजदूरी पर रोक लगेगी और देश के विकास की कहानी आने वाले समय में कुछ और हो सकती है। काला धन का प्रयोग भारत के विकास कार्यों में लगेगा जिससे देश में बेकार मजदूरों को रोजगार प्राप्त होगा, इससे परिवार, समाज व राष्ट्र का आर्थिक सामाजिक कल्याण में वृद्धि होगी।

संदर्भ ग्रंथों की सूची –

1. मयुर पेपर बेक्स, पी. सी. सिंहा, श्रम अर्थशास्त्र
2. ओमेगा पब्लिकेशन, बबीता अग्रवाल, श्रम अर्थशास्त्र
3. ओमेगा पब्लिकेशन पी.के. गुप्ता, श्रम अर्थशास्त्र
4. प्रतियोगिता दर्पण, 2011, पी.के. गुप्ता, भारतीय अर्थशास्त्र
5. अर्थव्यवस्था अवलोकर 20 अप्रैल, 1911
6. बचपन बचाओ आंदोलन
7. विविध पत्र पत्रिकाएँ एवं न्यूज पेपर

****